मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

हर वोट कीमती ● हर निकाय महत्वपूर्ण

IEMS
(Integrated Election Management System)

निर्वाचन की सूचना जारी किये जाने से लेकर निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना

1. परम्परागत तौर पर जिला निर्वाचन अधिकारी और रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बंधित कार्य निष्पादन के दौरान विभिन्न प्रकार के प्ररूप और परिशिष्टों में जानकारियाँ तैयार की जाती है और पारदर्शिता के प्रयोजन से उन्हें सूचना फलक एवं अन्य माध्यमों से प्रदर्शित भी किया जाता है। इसी के साथ उक्त जानकारियाँ लगभग 175 URL के माध्यम से आयोग को समयसीमा में प्रेषण करना होता है। यह प्रक्रिया निर्वाचन के सम्पूर्ण कार्य को अत्यंत दुरह बना देती है।

2. जिला निर्वाचन अधिकारी और रिटर्निंग ऑफिसर के लिए निर्वाचन कार्य प्रक्रिया को सहज एवं सरल बनाने के लिए आयोग द्वारा समस्त URL को समेकित कर एक ऑनलाईन इन्टीग्रेटेड एप्लिकेशन तैयार किया गया है।

3. ऑनलाईन एप्लिकेशन को इस प्रकार से विकसित किया गया है कि इसके माध्यम से कार्य करने पर निर्वाचन नियमों में प्रावधानित प्ररूप एवं परिशिष्ट स्वतः जेनरेट हो सकेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी और रिटर्निंग ऑफिसर को इन्हें पृथक से तैयार करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके साथ ही आयोग को भी सामान्यतः (अपरिहार्य एवं आकस्मिक स्थितियों को छोड़कर) पृथक से जानकारी प्रेषित करने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

4. आयोग द्वारा विकसित ऑनलाईन एप्लिकेशन के दो भाग है :–
   i. **ICIS (Integrated Candidate Information System)** – इस एप्लिकेशन के माध्यम से निर्वाचन की सूचना जारी किये जाने से लेकर निर्वाचन परिणाम घोषित होने तक की समस्त प्रक्रियाएँ निष्पादित की जा सकेगी। परिणाम घोषित होने के बाद निक्षेप राशि की जप्ती और वापसी के साथ–साथ नगरीय निकाय निर्वाचन की स्थिति में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करने सम्बंधी प्रक्रियाएँ भी इसी एप्लिकेशन के माध्यम से की जा सकेगी।

   ii. **IPIS (Integrated Poll Information System)** – यह एप्लिकेशन SMS आधारित है। इस एप्लिकेशन के द्वारा मतदान सम्बंधी जानकारियाँ (मतदान दल रवाना होने की सूचना, मतदान केन्द्र पर मतदान दल के सकुशल पहुँचने की सूचना, मॉकपोल की सूचना, मतदान प्रारम्भ होने की सूचना, 2–2 घण्टे में मतदान प्रतिशत की सूचना, मतदान समाप्त होने की सूचना, मतदान दल के सामग्री संग्रहण केन्द्र पर सकुशल पहुँचने की सूचना आदि) SMS के माध्यम से पीठासीन अधिकारी अथवा अन्य अधिकृत अधिकारी से प्राप्त की जा सकेंगी।

5. **IEMS** का उपयोग करने के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी तथा रिटर्निंग ऑफिसर को निर्धारित लॉगिन आई.डी. और पासवर्ड का प्रयोग करना होगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी उन्हें पूर्व में आवंटित लॉगिन आई.डी. और पासवर्ड का उपयोग कर सकेंगे। रिटर्निंग ऑफिसर के लिए लॉगिन आई.डी. और पासवर्ड कलेक्टर द्वारा तैयार किये जायेंगे।

6. **IEMS** के व्यवस्थित क्रियान्वयन के लिए निम्नानुसार अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा लगाई जाये :–

   i. जिला निर्वाचन कार्यालय में **IEMS** के क्रियान्वयन के लिए IT कार्य में दक्ष एक प्रशासनिक अधिकारी को नोडल ऑफिसर बनाया जाये। नोडल ऑफिसर के मोबाईल नम्बर और ई–मेल आई.डी. आयोग को प्रेषित किये जायें।

   ii. नोडल ऑफिसर की सहायता हेतु IT कार्य में विशेषज्ञता प्राप्त अधिकारी को सहायक नोडल ऑफिसर बनाया जाये। सहायक नोडल ऑफिसर के मोबाईल नम्बर एवं ई–मेल आई.डी. आयोग को प्रेषित किये जाये।

   iii. नोडल ऑफिसर और सहायक नोडल ऑफिसर की सहायता हेतु एक टीम का गठन किया जाये। टीम में पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों/डाटा एन्ट्री ऑपरेटर तैनात किये जायें।

   iv. इसी प्रकार रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में भी **IEMS** के क्रियान्वयन के लिए नोडल ऑफिसर, सहायक नोडल ऑफिसर और टीम की नियुक्ति की जाये।

7. जिला निर्वाचन कार्यालय और रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय में पर्याप्त संख्या में कम्प्यूटर, स्केनर, प्रिन्टर की उपलब्धता और निर्बाध इन्टरनेट कनेक्टिविटी स्थापित किया जाना भी सुनिश्चित किया जाये।

8. नोडल ऑफिसर और सहायक नोडल ऑफिसर को यह सख्त हिदायत दी जाये कि **IEMS** के व्यवस्थित क्रियान्वयन के लिए वे व्यक्तिगत तौर से जिम्मेदार होंगे। जिला स्तरीय नोडल अधिकारी और सहायक नोडल अधिकारी, रिटर्निंग ऑफिसर के स्तर पर भी एप्लिकेशन का व्यवस्थित क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे।

9. **IEMS** के क्रियान्वयन के लिए नियुक्त किये गये नोडल अधिकारी, सहायक नोडल अधिकारी और उनकी सहायता हेतु नियुक्त कर्मचारियों को गहन प्रशिक्षण दिया जाये। रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर और उनकी सहायता के लिए नियुक्त कर्मचारियों को भी भलिभांति प्रशिक्षित किया जाये।

10. आयोग द्वारा **IEMS** के क्रियान्वयन की टेस्टिंग हेतु एक लिंक पर्याप्त समय रहते प्रदाय की जायेगी। सभी अधिकारियों को टेस्टिंग के माध्यम से एप्लिकेशन का प्रयोग करना सुनिश्चित कर लेना चाहिए। यदि एप्लिकेशन में जिला स्तर पर किसी भी तरह् की विसंगति प्रकाश में आती है, तो तत्काल आयोग को अवगत कराना चाहिए।

11. आयोग द्वारा नगरीय निकाय एवं पंचायत के लिए आम निर्वाचन एवं उप निर्वाचन हेतु पृथक–पृथक निर्वाचन कार्यक्रम जारी किया जायेगा। कार्यक्रम की प्रति कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को यथासमय उपलब्ध कराई जायेगी। निर्वाचन कार्यक्रम की प्रति **IEMS** एप्लिकेशन से भी डाउनलोड की जा सकेगी। निर्वाचन कार्यक्रम जारी करने के साथ ही आयोग द्वारा **IEMS** एप्लिकेशन को वास्तविक तौर पर कार्य करने के लिए लॉन्च किया जायेगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी तथा रिटर्निंग ऑफिसर से यह अपेक्षा रहेगी कि वह आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने के तत्काल बाद से **IEMS** एप्लिकेशन पर कार्य करना प्रारम्भ कर दें।

ICIS

Integrated Candidate Information System

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के उत्तरदायित्व

12. **IEMS** का उपयोग करने के लिए डाटाबेस आयोग द्वारा वर्ष 2014 एवं 2015 के आम निर्वाचन के आधार पर तैयार किया गया है। आपके जिले से सम्बंधित डाटा आप एप्लिकेशन के माध्यम से देख सकते है। कृपया जिले से सम्बंधित जानकारियों का सूक्ष्म परीक्षण कर लें और यदि कोई संशोधन अथवा सुधार आवश्यक हो तो आयोग को सूचित करें।

13. पंचायत निर्वाचन के लिए जिला स्तर पर निम्नानुसार मेपिंग का कार्य किया जाये :–
    - ग्राम पंचायत की, जिला पंचायत वार्ड के साथ मेपिंग।
    - ग्राम पंचायत की, जनपद पंचायत वार्ड के साथ मेपिंग।
    - जनपद पंचायत की जिला पंचायत वार्ड के साथ मेपिंग।

14. नगरीय निकाय एवं पंचायत के लिए आरक्षण की स्थिति की प्रविष्टि जिला स्तर पर की जाये।

15. मतों की गणना हेतु चरणों का निर्धारण और चरणों की निर्वाचन क्षेत्रों तथा मतदान केन्द्रों के साथ मेपिंग का कार्य भी जिला स्तर पर किया जाये।

16. **निर्वाचन की सूचना जारी करना :–** आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने बाद निर्धारित समयसारणी अनुसार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को नगरीय निकाय के लिए मध्यप्रदेश नगर पालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम–21 और पंचायतों के लिए मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम–28 के तहत् निर्वाचन की सूचना जारी करना होता है।

    16.1 निर्वाचन की सूचना के साथ ही विहित प्रक्रिया अनुसार आरक्षण की स्थिति और मतदान केन्द्रों की सूची भी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी की जाती है।

    16.2 आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम जारी किया जायेगा और निर्वाचन कार्यक्रम के आधार पर जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचन की सूचना जारी की जायेगी। यह ध्यान रखा जाये कि जिला निर्वाचन अधिकारी को आम निर्वाचन एवं उप निर्वाचन के लिए पृथक–पृथक निर्वाचन की सूचना जारी करना होगी।

    16.3 निर्वाचन की सूचना जारी करने के लिए **ICIS** एप्लिकेशन में पद/पदों का विवरण जिनके लिए निर्वाचन होगा, रिटर्निंग ऑफिसर का नाम/पदनाम, नामनिर्देशन पत्र प्राप्ति का स्थान, नामनिर्देशन पत्रों की संवीक्षा का स्थान, अभ्यर्थिता वापस लेने का स्थान, मतों की गणना करने का स्थान की जानकारी की प्रविष्टि जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जायेगी।

    16.4 सामान्य तौर पर जिलों में ग्राम पंचायतों के समूह बनाकर सेक्टर स्तर पर नामनिर्देशन पत्र प्राप्त करने सम्बंधी कार्यवाहियाँ की जाती है। एप्लिकेशन की सहायता से ग्राम पंचायतों को समूहबद्ध कर समूह के लिए रिटर्निंग ऑफिसर का नाम/पदनाम, नामनिर्देशन पत्र प्राप्ति का स्थान, नामनिर्देशन पत्रों की संवीक्षा का स्थान, अभ्यर्थिता वापस लेने का स्थान, मतों की गणना करने का स्थान की जानकारी की प्रविष्टि की जा सकती है।

    16.5 **नगरीय निकाय के लिए** – कंडिका–15.3 में दर्शित जानकारी की प्रविष्टि करने के उपरांत एप्लिकेशन से नियम–21 के तहत् प्ररूप–2 जेनरेट किया जायेगा और उसका प्रिन्टऑऊट निकालकर जाँच उपरांत कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर और पदमुद्रा से निर्वाचन की सूचना जारी की जायेगी। यह विशेष ध्यान रखा जाये कि आम निर्वाचन और उप निर्वाचन के लिए पृथक–पृथक निर्वाचन की सूचना जारी होगी, चाहे मतदान और मतगणना की तिथि एक ही क्यों न हो।

16.6 **पंचायत के लिए –** कंडिका–15.3 और 15.4 अनुसार जानकारी की प्रविष्टि करने के उपरांत एप्लिकेशन से नियम–28 के तहत् जिला और जनपद पंचायत के लिए प्ररूप–3 और ग्राम पंचायत के लिए प्ररूप–2 जेनरेट किया जायेगा और उसका प्रिन्टऑऊट निकालकर जाँच उपरांत कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर और पदमुद्रा से निर्वाचन की सूचना जारी की जायेगी। यह विशेष ध्यान रखा जाये कि आम निर्वाचन और उप निर्वाचन के लिए पृथक–पृथक निर्वाचन की सूचना जारी होगी, चाहे मतदान और मतगणना की तिथि एक ही क्यों न हो।

16.7 **ICIS** एप्लिकेशन में स्थान (सीट) जिसके लिए निर्वाचन होना है, के सम्बंध में आरक्षण की स्थिति की प्रविष्टि कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जायेगी।

16.8 **नगरीय निकाय के लिए** – आरक्षण की स्थिति दर्शाने वाला प्ररूप–2(क) नियम–22(क) जेनरेट किया जायेगा और उसका प्रिन्टऑऊट निकालकर जाँच उपरांत कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से निर्वाचन की सूचना के साथ–साथ जारी किया जायेगा।

16.9 **पंचायत के लिए –** नियम–29(क) के तहत् ग्राम पंचायत के लिए आरक्षण की स्थिति दर्शाने वाला प्ररूप–3(क) और जिला तथा जनपद पंचायत वार्ड के लिए आरक्षण की स्थिति दर्शाने वाला प्ररूप–3(ख) जेनरेट किया जायेगा और उसका प्रिन्टऑऊट निकालकर जाँच उपरांत कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से निर्वाचन की सूचना के साथ–साथ जारी किया जायेगा।

16.10 **नगरीय निकाय के लिए –** निर्वाचन की सूचना जारी किये जाने के साथ ही मध्यप्रदेश नगर पालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम–16 के तहत् मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन परम्परागत प्रक्रिया के अनुसार ही किया जायेगा।

16.11 **पंचायत के लिए –** निर्वाचन की सूचना जारी किये जाने के साथ ही मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम–23 के तहत् मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन परम्परागत प्रक्रिया के अनुसार ही किया जायेगा।

16.12 निर्वाचन की सूचना केवल एप्लिकेशन के माध्यम से ही प्ररूप जेनरेट कर जारी किया जाना अनिवार्य होगा। अपरिहार्य स्थितियों में आयोग की पूर्व अनुमति से ही किसी अन्य तरह से निर्वाचन की सूचना को जारी किया जा सकेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी निर्वाचन सूचना ही विधिक प्रयोजन हेतु मान्य होगी।

रिटर्निंग ऑफिसर के उत्तरदायित्व

17. जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचन की सूचना जारी किये जाने के पश्चात् नामनिर्देशन पत्रों की प्राप्ति से लेकर निर्वाचन परिणाम घोषित होने तक की समस्त कार्यवाहियाँ रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा की जायेंगी। इसके लिए रिटर्निंग ऑफिसर को स्वयं के लॉगिन आई.डी. और पासवर्ड का प्रयोग करना होगा।

18. रिटर्निंग ऑफिसर के स्तर पर कार्य आधिक्य को देखते हुए एप्लिकेशन पर मल्टी लॉगिन की व्यवस्था की गई है अर्थात् कई सारे कम्प्यूटर पर लॉगिन कर एक साथ कई कर्मचारियों से कार्य कराया जा सकता है। यदि मल्टी लॉगिन कर कई कर्मचारियों द्वारा एक साथ कार्य कराया जा रहा हो तो रिटर्निंग ऑफिसर को उनके मध्य कार्य का स्पष्ट बॅटवारा करना चाहिए ताकि किसी भी तरह् की त्रुटि होने पर उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जा सके। लॉगिंन आई.डी. और पासवर्ड का दुरूपयोग न हो सके, यह व्यवस्था भी सुनिश्चित करनी चाहिए।

19. मध्यप्रदेश नगर पालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम–25 के तहत् नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए और मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम–32 के तहत् पंचायतों के निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर/सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अभ्यर्थी अथवा उसके प्रस्तावक द्वारा नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। नामनिर्देशन पत्रों की प्राप्ति के सम्बंध में एप्लिकेशन में निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी :–

नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति की प्रविष्टि (नगरीय निकाय)

19.1 महापौर/अध्यक्ष और पार्षद पद के अभ्यर्थी द्वारा नियम–25 के अधीन प्ररूप–3 में नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। नामनिर्देशन पत्र के साथ अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा।

19.2 नाम, पिता का नाम, आयु, जाति, सम्बद्ध दल, प्रस्तावक का नाम आदि प्रविष्टियाँ नामनिर्देशन पत्र के आधार पर की जाये।

19.3 यह विशेष ध्यान रखा जाये कि एप्लिकेशन में अभ्यर्थी का नाम उस तरीके से लिखा जाये जिस तरीके से वह मतपत्र तथा निर्वाचन से सम्बंधित दस्तावेजों में लिखवाना चाहता है। यह प्रविष्टि नामनिर्देशन पत्र प्ररूप–3 की कंडिका–च के अनुसार की जानी चाहिए। अभ्यर्थी के सही नाम लिखे जाने की जाँच करने के लिए पृथक से योग्य अधिकारी/कर्मचारी की ड्यूटी लगाई जाये और त्रुटि पाये जाने पर यथासमय उसे सुधार लिया जाये।

19.4 प्रतिभूति निक्षेप राशि सम्बंधी जानकारी नामनिर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत रसीद के आधार पर भरी जायें।

19.5 अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता, व्यवसाय, टेलिफोन नम्बर, ई–मेल एड्रेस आदि प्रविष्टियाँ शपथ पत्र के आधार पर भरी जायें।

19.6 किसी भी अभ्यर्थी द्वारा एक पद के लिए दो नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत किये जा सकते है। दूसरा नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर एप्लिकेशन में प्रविष्टि के समय प्रथम नामनिर्देशन के आधार पर प्रविष्टि की गई जानकारियाँ स्वतः प्रदर्शित हो जायेंगी और प्रस्तावक से सम्बंधित जानकारियों में आवश्यकतानुसार बदलाव किया जा सकेगा।

19.7 एप्लिकेशन में प्राप्त नामनिर्देशन पत्रों की प्रविष्टि किये जाने के पश्चात् नियम–27 के अधीन प्ररूप–4 में नामनिर्देशन पत्र की सूचना जेनरेट कर उसका प्रिन्टऑऊट निकालकर जाँच उपरांत रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाये।

19.8 रिटर्निंग ऑफिसर व्यक्तिगत तौर यह सुनिश्चित करेंगे कि प्राप्त होने वाले सभी नामनिर्देशन पत्रों की प्रविष्टि एप्लिकेशन में संवीक्षा तिथि के पूर्व अनिवार्यतः हो जाये। किसी भी अभ्यर्थी का नाम प्रविष्टि से छूटने पर रिटर्निंग ऑफिसर व्यक्तिशः उत्तरदायी होंगे।

नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति की प्रविष्टि (पंचायत)

19.9 अभ्यर्थी द्वारा नियम–32 के अधीन पंच के लिए प्ररूप–4(क) में, सरपंच के लिए प्ररूप–4(ख) में, जनपद पंचायत सदस्य के लिए प्ररूप–4(ग) में और जिला पंचायत सदस्य के लिए प्ररूप–4(घ) में नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। नामनिर्देशन पत्र के साथ पंच पद के अभ्यर्थी द्वारा घोषणा पत्र और सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य पद के अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा।

19.10 नाम, पिता का नाम, आयु, जाति, प्रस्तावक का नाम आदि प्रविष्टियाँ नामनिर्देशन पत्र के आधार पर की जाये।

19.11 यह विशेष ध्यान रखा जाये कि एप्लिकेशन में अभ्यर्थी का नाम उस तरीके से लिखा जाये जिस तरीके से वह मतपत्र तथा निर्वाचन से सम्बंधित दस्तावेजों में लिखवाना चाहता है। यह प्रविष्टि नामनिर्देशन पत्र की कंडिका–घ के अनुसार की जानी चाहिए।

19.12 मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र क्रमांक–444 दिनांक 28 अक्टूबर 2016 में प्रकाशित आयोग के आदेश क्रमांक–एफ–38–01/2016/तीन/386 भोपाल, दिनांक 28 अक्टूबर 2016 के अनुसार अभ्यर्थियों के वर्णक्रम का निर्धारण उनके नाम के अग्रेजी स्पेलिंग के आधार पर किया जायेगा। अतः अभ्यर्थी का नाम अंग्रेजी में परिशिष्ट–1 में दिये गये अनुसार लिखा जाये।

19.13 अभ्यर्थी के हिन्दी और अंग्रेजी में सही नाम लिखे जाने की जाँच करने के लिए पृथक से योग्य अधिकारी/कर्मचारी की ड्यूटी लगाई जाये और त्रुटि पाये जाने पर यथासमय उसे सुधार लिया जाये।

19.14 प्रतिभूति निक्षेप राशि सम्बंधी जानकारी नामनिर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत रसीद के आधार पर भरी जायें।

19.15 अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता, व्यवसाय, टेलिफोन नम्बर, ई–मेल एड्रेस आदि प्रविष्टियाँ शपथ पत्र के आधार पर भरी जायें।

19.16 एप्लिकेशन में प्राप्त नामनिर्देशन पत्रों की प्रविष्टि किये जाने के पश्चात् प्राप्त नामनिर्देशन पत्रों का दैनिक विवरण पंच के लिए परिशिष्ट–17 में, सरपंच के लिए परिशिष्ट–18 में और जनपद पंचायत सदस्य तथा जिला पंचायत सदस्य के लिए परिशिष्ट–19 में जेनरेट किया जाये और उसका प्रिन्टऑऊट निकालकर जाँच उपरांत रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाये।

19.17 किसी भी अभ्यर्थी द्वारा एक पद के लिए दो नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत किये जा सकते है। दूसरा नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर एप्लिकेशन में प्रविष्टि के समय प्रथम नामनिर्देशन के आधार पर प्रविष्टि की गई जानकारियाँ स्वतः प्रदर्शित हो जायेंगी और प्रस्तावक से सम्बंधित जानकारियों में आवश्यकतानुसार बदलाव किया जा सकेगा।

19.18 प्राप्त नामनिर्देशन पत्रों का समेकित विवरण पंच के लिए परिशिष्ट–20 में, सरपंच के लिए परिशिष्ट–21 में और जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के लिए परिशिष्ट–22 में जेनरेट किया जाये और उसका प्रिन्टऑऊट निकालकर जाँच उपरांत रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाये।

19.19 रिटर्निंग ऑफिसर व्यक्तिगत तौर यह सुनिश्चित करेंगे कि प्राप्त होने वाले सभी नामनिर्देशन पत्रों की प्रविष्टि एप्लिकेशन में संवीक्षा तिथि के पूर्व अनिवार्यतः हो जाये। किसी भी अभ्यर्थी का नाम प्रविष्टि से छूटने पर रिटर्निंग ऑफिसर व्यक्तिशः उत्तरदायी होंगे।

संवीक्षा सम्बंधी जानकारी की प्रविष्टि

20. किसी अपरिहार्य कारणवश नामनिर्देशन पत्रों की प्रविष्टि एप्लिकेशन में न होने पर भी संवीक्षा की कार्यवाही यथासमय की जाये और उसके साथ–साथ नामनिर्देशन पत्रों की एप्लिकेशन में प्रविष्टि की कार्यवाही भी जारी रखी जाये।

21. रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए प्राप्त नामनिर्देशन पत्रों की संवीक्षा मध्यप्रदेश नगर पालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम–28 और पंचायत के लिए प्राप्त नामनिर्देशन पत्रों की संवीक्षा मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम–35 के तहत् की जायेगी। एप्लिकेशन रिटर्निंग ऑफिसर को संवीक्षा करने के लिए कोई टूल उपलब्ध नहीं कराता है। नियमानुसार संवीक्षा करने के पश्चात् संवीक्षा सम्बंधी जानकारी की एप्लिकेशन में प्रविष्टि की जाना है।

22. नामनिर्देशन पत्रों की संवीक्षा की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् संवीक्षा सम्बंधी जानकारी की प्रविष्टि एप्लिकेशन में की जायेगी। एप्लिकेशन में नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों के नाम स्वतः प्रदर्शित होंगे। रिटर्निंग ऑफिसर को प्रत्येक अभ्यर्थी के नाम के सामने नामनिर्देशन पत्र के स्वीकृत अथवा अस्वीकृत के किसी एक विकल्प को चुनना होगा। यदि किसी अभ्यर्थी ने दो नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत किये हो और उसका प्रथम नामनिर्देशन पत्र स्वीकृत किया जाता है तो द्वितीय नामनिर्देशन पत्र स्वतः ही "विचार नहीं" स्थिति में चला जायेगा और रिटर्निंग ऑफिसर को उस नामनिर्देशन पत्र पर कोई प्रविष्टि करने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रथम नामनिर्देशन पत्र निरस्त होने की स्थिति में द्वितीय नामनिर्देशन पत्र के बारे में प्रविष्टि करने के लिए स्वीकृत अथवा अस्वीकृत के विकल्प उपलब्ध रहेंगे।

23. सभी नामनिर्देशन पत्रों के सम्बंध में स्वीकृत अथवा अस्वीकृत की प्रविष्टि करने के उपरांत रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा विधिमान्य नामनिर्देशित अभ्यर्थियों की सूची जेनरेट की जायेगी। नगरीय निकाय के लिए यह सूची नियम–28(8) के तहत् प्ररूप–5 में और पंचायत के लिए नियम–35(8) के तहत् प्ररूप–5 में जेनरेट की जायेगी। प्ररूप–5 को जेनरेट कर प्रिन्टआऊट निकालकर जाँच उपरांत रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किये जायें।

24. मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम–36 के अनुसार यदि किसी वार्ड/निर्वाचन क्षेत्र में केवल एक अभ्यर्थी को छोड़कर शेष सभी अभ्यर्थियों के नामनिर्देशन पत्र खारिज हो गये हो तो, खारिज किये गये नामनिर्देशन पत्रों का पुनरीक्षण, पुनरीक्षण अधिकारी द्वारा किया जायेगा और इस सम्बंध में एक सूचना प्ररूप–5(क) में रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा जारी की जायेगी। यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो रिटर्निंग ऑफिसर को प्ररूप–5(क) में सूचना जारी करने की कार्यवाही पृथक से करना होगी। एप्लिकेशन में फिलहाल यह प्रावधान नहीं किया गया है। पुनरीक्षण अधिकारी यदि किसी खारिज किये गये नामनिर्देशन पत्र को स्वीकृत करता है तो रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा एप्लिकेशन में तत्सम्बंधी प्रविष्टि संशोधित कर अभ्यर्थी का नाम विधिमान्य नामनिर्देशित अभ्यर्थियों की सूची में शामिल किया जाये।

अभ्यर्थिता वापस लिये जाने की सूचना की प्रविष्टि

25. नगरीय निकाय के लिए मध्यप्रदेश नगर पालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम–29 और पंचायत के लिए मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम–37 के तहत् विधिमान्य अभ्यर्थी नियत समयावधि में रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर अपनी अभ्यर्थिता वापस ले सकता है। रिटर्निंग ऑफिसर विहित प्रक्रिया का पालन कर अभ्यर्थिता वापस लेने वाले आवेदन को स्वीकार कर सकता है।

26. अभ्यर्थिता वापस लिये जाने की प्रविष्टि एप्लिकेशन में निर्धारित विन्डो पर की जायेगी। एप्लिकेशन में सभी विधिमान्य अभ्यर्थियों के नाम स्वतः प्रदर्शित होंगे, उनमें से रिटर्निंग ऑफिसर उन नामों को चिन्हांकित करेंगे जिनका अभ्यर्थिता वापस लिये जाने का आवेदन स्वीकार कर लिया गया है।

27. **नगरीय निकाय के लिए** अभ्यर्थिता वापस लिये जाने की सूचना का प्ररूप–7(नियम–29(4) के तहत् जेनरेट किया जायेगा और उसका प्रिन्टऑऊट निकालकर जाँच उपरांत रिटर्निंग ऑफिसर अपने हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी करेगा।

28. **पंचायत के लिए** अभ्यर्थिता वापस लिये जाने की सूचना का प्ररूप–7(नियम–37(4) के तहत् जेनरेट किया जायेगा और उसका प्रिन्टऑऊट निकालकर जाँच उपरांत रिटर्निंग ऑफिसर अपने हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी करेगा।

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना (अभ्यर्थियों का क्रम निर्धारण और प्रतीक आवंटन)

29. नामनिर्देशन की प्रक्रिया का यह अत्यंत महत्वपूर्ण चरण है। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची के आधार पर ही मतपत्र का मुद्रण किया जाता है। अभ्यर्थियों का विहित प्रक्रियानुसार क्रम निर्धारण कर उन्हें आवंटित प्रतीक चिन्ह का भी उल्लेख सूची में करना होता है। अभ्यर्थियों की सूची तैयार करने में कोई भी त्रुटि पुनर्मतदान का का कारण बन सकती है। अतः निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची को तैयार करने में पर्याप्त सावधानी बरतना चाहिए।

30. एप्लिकेशन में अभ्यर्थी के नाम को पूर्ण परीक्षण कर सावधानी से लिखा जाना चाहिए, क्योंकि यही नाम मतपत्र पर मुद्रित होगा। मतपत्र पर नाम मुद्रण की त्रुटि भी पुनर्मतदान का कारण बनती है। नगरीय निकाय के लिए नामनिर्देशन पत्र के प्ररूप–3 की कंडिका–च के अनुसार अभ्यर्थी का नाम लिखा जाना चाहिए और पंचायत के लिए नामनिर्देशन पत्र के प्ररूप–4(क), 4(ख), 4(ग) एवं 4(घ) की कंडिका–घ के अनुसार अभ्यर्थी का नाम लिखा जाना चाहिए। पंचायत निर्वाचन के अभ्यर्थियों के नामों का क्रम निर्धारण मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम–38(3) के तहत् आयोग द्वारा विहित प्रक्रियानुसार किया जाता है। मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र क्रमांक–444 दिनांक 28.10.2016 में प्रकाशित आयोग द्वारा जारी आदेश क्रमांक–एफ– 38–01/2016/तीन/386 भोपाल, दिनांक 28 अक्टूबर 2016 के अनुसार अभ्यर्थियों के वर्णक्रम का निर्धारण उनके नाम के अग्रेजी स्पेलिंग के आधार पर किया जायेगा। अतः अभ्यर्थी का नाम अंग्रेजी में परिशिष्ट–1 में दिये गये अनुसार लिखा जाना सुनिश्चित किया जाये।

31. **नगरीय निकाय के लिए** अभ्यर्थियों का क्रम निर्धारण मध्यप्रदेश नगर पालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम–30 के तहत् किया जाता है और प्रतीक चिन्हों का आवंटन नियम–31 के तहत् किया जाता है। रिटर्निंग ऑफिसर अभ्यर्थियों का क्रम निर्धारित कर उन्हें प्रतीक चिन्ह के आवंटन की कार्यवाही पूर्ण करेंगे। इसके पश्चात् उसकी प्रविष्टि एप्लिकेशन में निर्धारित विन्डो पर जाकर करेंगे। क्रम निर्धारण की प्रविष्टि के लिए प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी के नाम के सामने नियत स्थान पर उसका क्रम (यथा 1, 2, 3.....) अंकित किया जाये और डाटाबेस से चयन कर अभ्यर्थी को आवंटित प्रतीक चिन्ह को चिन्हांकित किया जाये।

32. **नगरीय निकाय के लिए** निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची नियम–32 के तहत् प्ररूप–10 में जेनरेट की जाये और उसका प्रिन्टऑऊट निकालकर जाँच उपरांत **निर्धारित स्थान पर अभ्यर्थी का फोटो चिपकाकर** रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा अपने हस्ताक्षर और पदमुद्रा से जारी किया जाये।

नगरीय निकाय के आम एवं उप निर्वाचन हेतु ई.व्ही.एम. में लगने वाले मतपत्र में अभ्यर्थियों के फोटो मुद्रित कराने के सम्बंध में आयोग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक–एफ–57–01/2016/तीन/न. पा./490 भोपाल, दिनांक 28.07.2016 का पालन सुनिश्चित करें। नियम–32 के तहत् प्ररूप–10 में तैयार निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची की एक प्रति रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय के सूचना फलक पर चिपकाई जाये और एक प्रति निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्त्ता को प्रदाय की जाये।

33. **पंचायत के लिए** अभ्यर्थियों का क्रम निर्धारण आयोग द्वारा जारी आदेश क्रमांक–एफ–38–01/2016/तीन/386 भोपाल, दिनांक 28 अक्टूबर 2016 के अनुसार उनके नाम की अंग्रेजी स्पेलिंग के आधार पर किया जाये और नियम–39 के तहत् निर्वाचन प्रतीकों के आवंटन की रीति आयोग द्वारा आदेश क्रमांक–एफ–37–तीन(6)–95–256 भोपाल, दिनांक 17 जनवरी 1996 द्वारा निर्धारित की गई है जो मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक–21 दिनांक 19.01.1996 में प्रकाशित है। आयोग द्वारा पंचायत निर्वाचन के लिए पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य हेतु पृथक–पृथक चुनाव चिन्ह क्रमवार निर्धारित किये गये है। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को सुसंगत निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन क्रम से (अर्थात् जिस क्रम में प्रतीकों का निर्धारण किया गया है, उसी क्रम में एक के बाद एक) अभ्यर्थियों के नामों की सूची में अंकित क्रम के अनुसार किया जाने का प्रावधान है।

34. **पंचायत के लिए** रिटर्निंग ऑफिसर विहित प्रक्रियानुसार अभ्यर्थियों के क्रम निर्धारण की कार्यवाही पूर्ण करेंगे। इसके पश्चात् क्रम निर्धारण की प्रविष्टि एप्लिकेशन में निर्धारित विन्डो पर जाकर करेंगे। क्रम निर्धारण की प्रविष्टि के लिए प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी के नाम के सामने नियत स्थान पर उसका क्रम (यथा 1, 2, 3.....) अंकित किया जाये। क्रम निर्धारण की प्रविष्टि किये जाने के पश्चात् प्रतीक चिन्ह का आवंटन एप्लिकेशन के माध्यम से स्वतः हो जायेगा।

35. **पंचायत के लिए** निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची नियम–38(1) के तहत् पंच के लिए प्ररूप–8(क) में, सरपंच के लिए प्ररूप–8(ख) में जनपद पंचायत सदस्य के लिए प्ररूप–8(ग) में और जिला पंचायत सदस्य के लिए प्ररूप–8(घ) में जेनरेट की जाये और उसका प्रिन्टऑऊट निकालकर जाँच उपरांत रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा अपने हस्ताक्षर और पदमुद्रा से जारी किया जाये। नियम–40 के तहत् प्ररूप–8(क), 8(ख), 8(ग) एवं 8(घ) में तैयार निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची की एक प्रति रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय के सूचना फलक पर चिपकाई जाये और एक प्रति निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी या उसके निर्वाचनण अभिकर्त्ता को प्रदाय की जाये।

36. मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम–46(क) के अनुसार अभ्यर्थी की मृत्यु की दशा में कतिपय स्थितियों में मृत अभ्यर्थी का नाम मतपत्र पर मुद्रित नहीं होगा। रिटर्निंग ऑफिसर ऐसी स्थिति में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में यथासमय उचित संशोधन करना सुनिश्चित करें।

37. **निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची नगरीय निकाय के लिए प्ररूप–10 और पंचायत के लिए प्ररूप–8(क), 8(ख), 8(ग) एवं 8(घ) अनिवार्यतः केवल एप्लिकेशन के माध्यम से ही प्ररूप जेनरेट कर जारी किया जाना अनिवार्य होगा। अपरिहार्य स्थितियों में आयोग की पूर्व अनुमति से ही अन्य प्रकार से निर्वाचन की सूचना को जारी किया जा सकेगा। रिटर्निंग ऑफिसर के हस्ताक्षर और पदमुद्रा से जारी निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची ही विधिक प्रयोजन हेतु मान्य होगी।**

शपथपत्र को अपलोड करना

38. पंचायत निर्वाचन में विजयी अभ्यर्थी और उसके निकटतम प्रतिद्वंदी के शपथपत्र एप्लिकेशन में निर्धारित विन्डो पर अपलोड किये जाये। नगरीय निकाय के लिए महापौर/अध्यक्ष एवं पार्षद् पद के समस्त अभ्यर्थियों के शपथपत्र अपलोड किये जाये। पंचायत के लिए जिला पंचायत सदस्य और जनपद पंचायत सदस्य पद के अभ्यर्थियों के शपथपत्र अपलोड किये जाये। सरपंच पद के अभ्यर्थियों के शपथ पत्र का केवल सारपत्र ही अपलोड किया जाये। पंच पद के अभ्यर्थियों का घोषणापत्र अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। शपथपत्र को अपलोड करने के लिए एक अधिकारी की नामजद ड्यूटी लगाई जाये और उसकी सहायतार्थ पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों की भी तैनाती की जाये। उक्त अधिकारी को कम्प्यूटर, स्केनर आदि सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाये। निर्वाचन परिणाम घोषित होने के एक सप्ताह की अवधि में शपथपत्र अनिवार्य रूप से अपलोड किये जायें।

मतों की गणना, सारणीकरण और निर्वाचन परिणाम की घोषणा

39. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार सविरोध निर्वाचन की स्थिति में अभ्यर्थियों को प्राप्त मतों की गणना, सारणीकरण और निर्वाचन परिणाम की घोषणा नियत तिथि पर रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा की जाती है। सामान्यतः जिला पंचायत सदस्य और पंच को छोड़कर शेष सभी पदों (महापौर, अध्यक्ष, पार्षद्, जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच) के लिए सारणीकरण और निर्वाचन परिणाम की घोषणा मतों की गणना के लिए निर्धारित तिथि को ही की जाती है। जिला पंचायत सदस्य और पंच के लिए सारणीकरण और निर्वाचन परिणाम की घोषणा हेतु आयोग द्वारा पृथक दिवस निर्धारित किया जाता है। रिटर्निंग ऑफिसर को आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार ही सारणीकरण और निर्वाचन परिणाम की घोषणा की कार्यवाही करना चाहिए।

40. IEMS में मतों की गणना की प्रविष्टि मतदान केन्द्रवार की जायेगी। अतः रिटर्निंग ऑफिसर को इस बात की भलि–भाँति जाँच कर लेनी चाहिए कि प्रत्येक पद के लिए निर्धारित मतदान केन्द्रों और उनसे सम्बंधित मतदाताओं की संख्या डाटाबेस में सही–सही दर्ज है। यदि डाटाबेस में कोई विसंगति है तो रिटर्निंग ऑफिसर "मतदान केन्द्र मास्टर" विन्डों पर जाकर उसमें संशोधन कर सकते है। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा यथासमय उक्त जानकारी का परीक्षण कर यथोचित सुधार पर्याप्त समय पूर्व कर लेना चाहिए ताकि रिटर्निंग ऑफिसर के स्तर पर कोई त्रुटि प्रदर्शित न हो।

41. IEMS में मतों की गणना की प्रविष्टि करने के लिए पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जानी चाहिए। मतों की गणना की प्रविष्टि सही–सही की गई है, इसकी जाँच करने के लिए योग्य एवं अनुभवी अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जानी चाहिए। उक्त अधिकारी/कर्मचारियों को गहन प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए।

42. **निविदत्त मतपत्रों की प्रविष्टि –** नगरीय निकाय निर्वाचन की स्थिति में निविदत्त मतपत्रों की संख्या की जानकारी **प्ररूप–18(क) भाग–1**, अभिलिखित मतों का लेखा की कंडिका–6 में पीठासीन अधिकारी द्वारा दर्ज की जाती है। पंचायत निर्वाचन की स्थिति में ई.व्ही.एम. से मतदान होने पर **प्ररूप–15(क) भाग–1**, अभिलिखित मतों का लेखा की कंडिका–6 में पीठासीन अधिकारी द्वारा दर्ज की जाती है। मतपेटी से मतदान की स्थिति में यह जानकारी **प्ररूप–15 भाग–1**, मतपत्र लेखा की कंडिका–4(ख) में पीठासीन अधिकारी द्वारा दर्ज की जाती है। अभिलिखित मतों का लेखा/मतपत्र लेखा की सहायता से निविदत्त मतपत्रों की संख्या की प्रविष्टि मतदान केन्द्रवार की जायेगी।

43. नगरीय निकाय निर्वाचन की स्थिति में **निर्वाचन कर्तव्य मतपत्रों (EDB)** का प्रावधान है। सर्वप्रथम निर्वाचन कर्तव्य मतपत्रों की गणना की जायेगी। गणना की प्रविष्टि IEMS में कर **प्ररूप–20 (नियम–66(10)** जेनरेट कर जाँच उपरांत रिटर्निंग ऑफिसर के हस्ताक्षर और पदमुद्रा से जारी किया जायेगा।

44. ई.व्ही.एम. से मतों की गणना के उपरांत नगरीय निकाय की स्थिति में **प्ररूप–21(क)** में और पंचायत निर्वाचन की स्थिति में **प्ररूप–17(क)भाग–1**(सरपंच), **18(क)भाग–1**(जनपद पंचायत सदस्य), **19(क)भाग–1**(जिला पंचायत सदस्य) में गणना पर्यवेक्षक द्वारा मतदान केन्द्रवार गणना का परिणाम तैयार किया जाता है। उक्त गणना परिणाम पत्रक को जाँच उपरांत रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा हस्ताक्षरित किया जाता है। रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा गणना परिणाम पत्रक पर हस्ताक्षर करने के उपरांत, इसकी प्रविष्टि मतदान केन्द्रवार IEMS में की जायेगी। प्रविष्टि करते समय पर्याप्त सावधानी रखी जानी चाहिए। यदि कोई त्रुटि हो गई हो तो रिटर्निंग ऑफिसर निर्वाचन परिणाम की घोषणा के पूर्व त्रुटि में सुधार कर सकते है। निर्वाचन परिणाम की घोषणा के उपरांत त्रुटि सुधार सम्भव नहीं होगा। अतः निर्वाचन परिणाम की घोषणा के पूर्व मतों की गणना से सम्बंधित समस्त प्रविष्टियों की बारीकी से जाँच कर लेनी चाहिए।

45. मतदान केन्द्रवार मतों की गणना की प्रविष्टि के उपरांत स्क्रीन पर अभ्यर्थियों को प्राप्त मतों का कुल योग प्रदर्शित होगा।

46. मतदान केन्द्रवार मतों की गणना की प्रविष्टि होने के पश्चात् नगरीय निकाय निर्वाचन की स्थिति में अंतिम परिणाम पत्र **प्ररूप–22** में जेनरेट होगा और पंचायत निर्वाचन की स्थिति में पंच के लिए **प्ररूप–16** में, सरपंच के लिए **प्ररूप–17(क) भाग–2** में, जनपद पंचायत सदस्य के लिए **प्ररूप–18(क) भाग–2** में गणना परिणाम जेनरेट होगा। जिला पंचायत सदस्य के लिए विकासखण्ड स्तरीय गणना परिणाम **प्ररूप–19(क) भाग–2** में और जिला स्तरीय गणना परिणाम **प्ररूप–19(क) भाग–3** में जेनरेट होगा। उक्त गणना परिणाम पत्रकों में अभ्यर्थियों को प्राप्त मतों की जानकारी मतदान केन्द्रवार अंकित होगी। उक्त जानकारी का बारीकी से मिलान करना चाहिए और मिलान करने के उपरांत रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा हस्ताक्षर कर जारी करना चाहिए। यदि कोई संशोधन करना आवश्यक हो तो वह इसी स्तर पर कर लेना चाहिए।

47. यह ध्यान रखे कि जिला पंचायत सदस्य के लिए **प्ररूप–19(क) भाग–3** केवल पदेन रिटर्निंग ऑफिसर, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा ही जारी किया जायेगा। निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार नियत तिथि को ही यह कार्य रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा किया जाये।

48. मतदान केन्द्रवार समेकित गणना परिणाम पत्रक जारी करने के उपरांत रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा निर्वाचन की घोषणा सह विवरणी तैयार की जाती है। नगरीय निकाय निर्वाचन की स्थिति में यह **प्ररूप–23** में पंचायत निर्वाचन की स्थिति में पंच के लिए **प्ररूप–20** में, सरपंच के लिए **प्ररूप–21(क)** में, जनपद पंचायत सदस्य के लिए **प्ररूप–22(क)** में और जिला पंचायत सदस्य के लिए **प्ररूप–23(क)** में तैयार की जाती है। उक्त प्ररूप IEMS से रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा जेनरेट किये जाये। उनकी भलि–भांति बारीकी से जाँच की जाये और रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा अपने हस्ताक्षर और पदमुद्रा से जारी किया जाये।

49. निर्वाचन की घोषणा तथा सह विवरणी जारी करने के उपरांत रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा निर्वाचन परिणाम की घोषणा IEMS के माध्यम से की जायेगी। निर्वाचन परिणाम की घोषणा करने के पूर्व आवश्यकतानुसार त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, पर एक बार निर्वाचन परिणाम की घोषणा का बटन क्लिक करने के बाद त्रुटि सुधार सम्भव नहीं होगा। अतः निर्वाचन परिणाम की घोषणा का

बटन दबाने के पूर्व रिटर्निंग ऑफिसर को सभी त्रुटियों का निराकरण कर लेना चाहिए और त्रुटि रहित प्रविष्टि की गारंटी होने के बाद ही IEMS पर निर्वाचन परिणाम की घोषणा का बटन दबाना चाहिए।

50. निर्वाचन परिणाम की घोषणा का बटन दबाने के बाद **"निर्वाचन का प्रमाणपत्र"** IEMS से जेनरेट होगा। नगरीय निकाय निर्वाचन की स्थिति में **प्ररूप–24** में और पंचायत निर्वाचन की स्थिति में **प्ररूप–25** में निर्वाचन का प्रमाणपत्र जेनरेट होगा।

51. निर्विरोध निर्वाचन की स्थिति में भी **"निर्वाचन का प्रमाणपत्र"** IEMS से ही जेनरेट करना होगा। नगरीय निकाय निर्वाचन की स्थिति में **प्ररूप–14** और पंचायत निर्वाचन की स्थिति में **प्ररूप–24** में यह प्रमाणपत्र जारी किये जायें।

52. "निर्वाचन का प्रमाणपत्र" ए–4 साईज के निम्नलिखित रंगों के पेपर पर प्रिन्ट किया जायेगाः–

पद	रंग
महापौर नगर पालिक निगम	सफेद
पार्षद् नगर पालिक निगम	गुलाबी
अध्यक्ष नगर पालिका परिषद्	सफेद
पार्षद् नगर पालिका परिषद्	पीला
अध्यक्ष नगर परिषद्	सफेद
पार्षद् नगर परिषद्	नीला
पंच	सफेद
सरपंच	नीला
जनपद पंचायत सदस्य	पीला
जिला पंचायत सदस्य	गुलाबी

उक्त रंग के पेपर स्थानीय बाजारों में कलर फोटोकापियर पेपर के नाम से आसानी से उपलब्ध है। स्थानीय स्तर पर अनुपलब्धता की स्थिति में यह पेपर राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त कर लेना चाहिए।

53. **निर्वाचन का प्रमाणपत्र केवल और केवल IEMS के माध्यम से ही आयोग द्वारा विहित रंग में प्रिन्ट किया जायेगा। आयोग की अनुमति के बगैर अन्य किसी भी प्रकार से निर्वाचन का प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जा सकेगा।**

54. विहित रंग में निर्वाचन के प्रमाणपत्र की **तीन प्रतियाँ** प्रिन्ट की जाये। प्रत्येक प्रति पर रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा हस्ताक्षर और पदमुद्रा अंकित की जाये। इसके बाद एक प्रति अभ्यर्थी को प्रदान की जाये और पावती प्राप्त की जाये। एक प्रति कार्यालयीन रिकार्ड में रखी जाये।

55. निर्वाचन के प्रमाणपत्र की तृतीय प्रति स्केन कर IEMS में अपलोड करने के लिए नियुक्त अधिकारी को सौंपी जाये। निर्वाचन के प्रमाणपत्र को अपलोड करने की कार्यवाही हरहाल में तीन दिवस में पूर्ण कर ली जाये। अपलोडिंग करने के पश्चात् तृतीय प्रति भी कार्यालयीन रिकार्ड में सुरक्षित रखी जाये।

56. पंचायत आम निर्वाचन की स्थिति में ग्राम पंचायत के लिए **प्ररूप–26(क)** में, जनपद पंचायत सदस्य के लिए **प्ररूप–26(ख)** में और जिला पंचायत सदस्य के लिए **प्ररूप–26(ग)** में पंचायत के सदस्यों के निर्वाचित होने की अधिसूचना IEMS से जेनरेट कर प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की जाए।

निर्वाचन पश्चात अन्य अनुवर्ती कार्यवाहियाँ

57. परिणाम की घोषणा के साथ ही निर्वाचन की कार्यवाही समाप्त नहीं हो जाती है। निर्वाचन समाप्त होने के पश्चात भी जिला निर्वाचन अधिकारी और रिटर्निंग ऑफिसर को अनुवर्ती कार्यवाहियाँ सम्पादित करना होती है। निर्वाचन पश्चात निम्नलिखित कार्यवाहियाँ भी IEMS के माध्यम से की जायेंगी :–

1. **जिला तथा जनपद पंचायत के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं उप सरपंच का निर्वाचन –** मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा–17, 25 तथा 32 एवं मध्यप्रदेश पंचायत (उप सरपंच, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष) निर्वाचन नियम, 1995 के तहत् जिला और जनपद पंचायत के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष और ग्राम पंचायत के उप सरपंच का निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा कराया जाता है। जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्वाचन पश्चात जिला तथा जनपद पंचायत के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष और ग्राम पंचायत के उप सरपंच के नामों की प्रविष्टि IEMS में निर्धारित विण्डो पर जाकर करना होगी।

2. **नगर पालिक निगम के अध्यक्ष और नगर पालिका तथा नगर परिषद् के उपाध्यक्ष का निर्वाचन–** आम निर्वाचन के पश्चात नगर पालिक निगम के लिए अध्यक्ष और नगर पालिका तथा नगर परिषद् के लिए उपाध्यक्ष का निर्वाचन राज्य शासन द्वारा कराया जाता है। निर्वाचन पश्चात जिला निर्वाचन अधिकारी को नगर पालिक निगम के अध्यक्ष और नगर पालिका तथा नगर परिषद् के उपाध्यक्ष के नामों की प्रविष्टि IEMS में निर्धारित विण्डो पर जाकर करना होगी।

3. **प्रथम सम्मिलन की जानकारी –** मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा–18, मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा–43 के तहत् क्रमशः नगर पालिक निगम और नगर पालिका/नगर परिषद् का प्रथम सम्मिलन आयोजित किया जाता है। प्रथम सम्मिलन की तिथि से नगरीय निकाय के कार्यकाल की अवधि की गणना की जाती है। इसी प्रकार जिला, जनपद और ग्राम पंचायत के लिए भी मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा क्रमशः 34, 27 और 20 के तहत् प्रथम सम्मिलन आयोजित किया जाता है। प्रथम सम्मिलन की तिथि की प्रविष्टि जिला निर्वाचन अधिकारी को IEMS में निर्धारित विण्डो पर जाकर करना होगी। प्रथम सम्मिलन की तिथि की प्रविष्टि सावधानीपूर्वक सही–सही करना चाहिए, क्योंकि इसी तिथि के आधार पर आयोग द्वारा आगामी आम निर्वाचन के लिए कार्यक्रम तय किया जायेगा। प्रथम सम्मिलन की तिथि में विसंगति के कारण यदि आम निर्वाचन के लिए निर्वाचन कार्यक्रम जारी करने में किसी प्रकार की त्रुटि होती है तो उसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी व्यक्तिगत तौर पर उत्तरदायी होंगे।

4. **प्रतिभूति निक्षेप की वापसी या समपहरण –** निर्वाचन पश्चात अभ्यर्थी को प्राप्त मतों के आधार पर उसकी प्रतिभूति निक्षेप की वापसी या समपहरण करना होता है। IEMS के माध्यम से जिन अभ्यर्थियों को प्रतिभूति निक्षेप की वापसी करना है और जिन अभ्यर्थियों की प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण करना है, सूची जेनरेट होगी। सूची अनुसार निक्षेप राशि की वापसी और समपहरण के बारे में जानकारी की प्रविष्टि IEMS में निर्धारित विण्डो पर जाकर करना होगी।

5. **आकस्मिक रूप से रिक्त पदों की जानकारी –** पंचायत एवं नगरीय निर्वाचन के लिए आयोग द्वारा आकस्मिक रूप से रिक्त पदों पर वर्ष में दो बार उप निर्वाचन कराये जाते है। दिनांक 31 मार्च की स्थिति में रिक्त पदों के लिए उप निर्वाचन पूर्वार्द्ध में और 30 सितम्बर की स्थिति में रिक्त पदों के लिए उप निर्वाचन उत्तरार्द्ध में कराया जाता है। जिला निर्वाचन अधिकारी को आकस्मिक रूप से रिक्त पदों की जानकारी IEMS में यथासमय करना चाहिए। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर ही आयोग द्वारा उप निर्वाचन का

कार्यक्रम जारी किया जायेगा। जानकारी की समय पर प्रविष्टि नहीं करने पर यदि किसी पद का उप निर्वाचन बाधित होता है, तो इसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी व्यक्तिगत तौर पर उत्तरदायी होंगे।

6. **निर्वाचन से सम्बंधित डाटा का विश्लेषण और सुधारात्मक कार्यवाहियाँ** – IEMS का उपयोग करने के पश्चात सम्पूर्ण डाटा विश्लेषण के लिए उपलब्ध रहेगा। इस डाटा के आधार पर जिले से सम्बंधित विभिन्न बिन्दुओं पर विश्लेषण की कार्यवाही कर सुधारात्मक कदम उठा सकते है।

—*—*—*—